रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268978 CG-DL-E-31122025-268978

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 860] No. 860]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 19/2025- केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 946(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- केंद्रीय कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 641(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II – 9% में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीड़ियां;";

8881 GI/2025 (1)

(ख) अनुसूची III – 20 % में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थातु: -

"14.	2106 90 20	पान मसाला;
15.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर];
16.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी;
17.	2403 (2403 19 21, 2403 19 29 के अलावा)	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर);
18.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत;
19.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेतच।";

- (ग) अनुसूची VII 14% को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाता है।
- 2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/73/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 9/2025- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 641(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 19/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 946(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 9/2025- Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 641(E), dated the 17th September, 2025, namely:-

In the said notification, -

(a) in the Schedule II -9%, after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"4A. 2	2403 19 21, 2403 19	Biris;";
2	29	

(b) in the Schedule III -20%, after S. No. 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"14.	2106 90 20	Pan masala;
15.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves];
16.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes;
17.	2403 (other than 2403 19 21, 2403 19 29)	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences [other than biris];
18.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion;
19.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion.";

- (c) the Schedule VII 14%, and the entries relating thereto shall be omitted.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of February, 2026.

[F. No. CBIC-190349/73/2025-TRU] DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 9/2025- Central Tax (Rate), dated the 17th September, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 641(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 19/2025-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 947(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, यह समझते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- एकीकृत कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 642(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II – 18% में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीड़ियां;";
------	------------------------	-------------

(ख) अनुसूची III – 40% में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"14.	2106 90 20	पान मसाला;
15.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को
		छोड़कर];

16.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या
		तंबाकू के विकल्प से बनी;
17.	2403 (2403 19 21, 2403 19 29 के अलावा)	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प;
		"समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष
		और सत्व (बीड़ी को छोड़कर);
18.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के
		बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत;
19	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के
		बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत।";

- (ग) अनुसूची VII 28% को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाता है।
- 2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/73/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 9/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 642(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 19/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 947(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017(12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 9/2025-Integrated Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 642(E), dated the 17th September, 2025, namely:-

In the said notification, -

(a) in the Schedule II -18%, after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

_			
	"4A.	2402 10 21 2402 10	Biris;"
	4A.	2403 19 21, 2403 19	DITIS;
		20	
		29	

(b) in the Schedule III -40%, after S. No. 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"14.	2106 90 20	Pan masala;
15.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves];
16.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes;
17.	2403 (other than 2403 19 21, 2403 19 29)	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences [other than biris];
18.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion;

19.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for
		inhalation without combustion;"

- (c) the Schedule VII 28%, and the entries relating thereto shall be omitted.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of February, 2026.

[F. No. CBIC-190349/73/2025-TRU] DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 9/2025- Integrated Tax (Rate), dated the 17th September, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 642(E), dated the 17th September, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 19/2025- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 948(अ).— संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, यह समझते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 646(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II – 9% में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीड़ियां;";

(ख) अनुसूची III – 20% में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"14.	2106 90 20	पान मसाला;
15.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर];
16.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी;
17.	2403 (2403 19 21, 2403 19 29 के अलावा)	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर);
18.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत;

19	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन
		के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत।";

- (ग) अनुसूची VII 14% को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाता है।
- 2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/73/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 9/2025- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 646(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 19/2025- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 948(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017(12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 9/2025- Union Territory Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 646(E), dated the 17th September, 2025, namely:-

In the said notification, -

(a) in the Schedule II -9%, after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"4A.	2403 19 21, 2403 19	Biris;"
	29	

(b) in the Schedule III -20%, after S. No. 13 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

"14.	2106 90 20	Pan masala;
15.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves];
16.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes;
17.	2403 (other than 2403 19 21, 2403 19 29)	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences [other than biris];

18.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion;
19.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion;"

- (c) the Schedule VII 14%, and the entries relating thereto shall be omitted.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of February, 2026.

[F. No. CBIC-190349/73/2025-TRU] DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 9/2025- Union Territory Tax (Rate), dated the 17th September, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 646(E), dated the 17th September, 2025.